न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 30 / 2022

आदित्य कुमार पाराशर, निवासी ग्राम बुगाला, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, मो0न0 7568060177

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 21.02.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 25.01.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 30 / 2022 पर दिनांक 25.01.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2021 / 227–28 दिनांक 25.01.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ ने पत्रांक सू0अ0अ0 / 2021 / 627 दिनांक 07.02.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा आरटीआई पोर्टल से सूचना के अधिकार हेतु सूचना चाहने के लिए आवेदन किया। आवेदन संख्या 348910139391133 है जो इस कार्यालय को दिनांक 14.12.2021 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नही होने से सूचना दिया जाना संभव नही है। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना जिला जयपुर के कोटपुतली उपखण्ड क्षेत्र से संबंधित होने से इस कार्यालय द्वारा पोर्टल के माध्यम से दिनांक 16.12.2021 को संबंधित कार्यालय को स्थानान्तरण कर दिया है। तथा प्रार्थी को भी पंजीबद्व डाक से दिनांक 07.01.2022 को सूचित कर दिया है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0 / 2021 / 627 दिनांक 07.02.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा आरटीआई पोर्टल से सूचना के अधिकार हेतु सूचना चाहने के लिए आवेदन किया। आवेदन संख्या 348910139391133 है जो उनके कार्यालय को दिनांक 14.12.2021 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय से संबंधित नही होने से सूचना दिया जाना संभव नही है। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना जिला जयपुर के कोटपुतली उपखण्ड क्षेत्र से संबंधित होने से उनके कार्यालय द्वारा पोर्टल के माध्यम से दिनांक 16.12.2021 को संबंधित कार्यालय को स्थानान्तरण कर दिया है। तथा प्रार्थी को भी पंजीबद्व डाक से दिनांक 07.01.2022 को सूचित कर दिया है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं हो[illegible]
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप अपनी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 21.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.16 16:35:59 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0 कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं